न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2024(GCMS 2024/95)
(आरटीआई संख्या 212127303825977)

श्री आशीष चमड़िया निवासी 30–31 रोहित उद्योग, रामदेव मन्दिर के सामने, श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>23.10.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी आशीष चमड़िया स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2024 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी आशीष चमड़िया ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. श्रीगंगानगर शहर में संचालित सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्स की नाम– पते एवं संचालक सहित सूची
2. वर्तमान में कार्यशील सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्टस की सूची
3. उक्त सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्स को जारी/नवीनीकृत अनुज्ञा पत्र की कॉपी।
4. उक्त अनुज्ञा पत्र के साथ जारी नियम एवं शर्तों की फोटो कॉपी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5. अनुज्ञा पत्र जारी करने वाली अधिकारी का नाम, पद एवं अधिकारों / प्रावधानों की कॉपी
6. उक्त सिनेमा घर / मल्टीप्लेक्स में क्रमवार दर्शक क्षमता, निर्धारित टिकट की दरें, श्रेणी का विवरण
7. उक्त सिनेमा घर / मल्टीप्लेक्स द्वारा टिकट की दरों में परिवर्तन के लिए दिए गए घोषणा पत्र / सूचना की जानकारी
8. उक्त सिनेमा घर / मल्टीप्लेक्स में कैंटीन पर बिकने वाली खाद्य सामग्री की दरें एवं निर्धारित नियमों की कॉपी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता) एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3685 दिनांक 05.09.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

क्र. सं.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	श्रीगंगानगर शहर में संचालित सिनेमा घर / मल्टीप्लेक्स की नाम–पते एवं संचालक सहित सूची	सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है, अतः देय नहीं है।
2	वर्तमान में कार्यशील सिनेमा घर / मल्टीप्लेक्टस की सूची	इस प्रकार की सूचना का संधारण नहीं है, अतः देय नहीं है।
3	उक्त सिनेमा घर एवं मल्टीप्लेक्स को जारी / [illegible] पत्र की कॉपी।	सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है, अतः देय नहीं है।
4	उक्त अनुज्ञा [illegible] नियम एवं [illegible]	[illegible] शर्तें राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) एक्ट 1952 व नियम 1959 में वर्णित है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5	अनुज्ञा पत्र जारी करने वाली अधिकारी का नाम, पद एवं अधिकारों /प्रावधानों की कॉपी	जब अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तब कार्यरत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है, जिनके अधिकार व प्रावधान राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) एक्ट 1952 व नियम 1959 में वर्णित है।
6	उक्त सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्स में क्रमवार दर्शक क्षमता, निर्धारित टिकट की दरें, श्रेणी का विवरण	राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) एक्ट 1952 व नियम 1959 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
7	उक्त सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्स द्वारा टिकट की दरों में परिवर्तन के लिए दिए गए घोषणा पत्र/सूचना की जानकारी	राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) एक्ट 1952 व नियम 1959 के अनुसार
8	उक्त सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्स में कैंटीन पर बिकने वाली खाद्य सामग्री की दरें एवं निर्धारित नियमों की कॉपी।	इस अनुभाग से सम्बन्धित नहीं है।

-sd-
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता)
प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा,
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता) एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3685 दिनांक 08.09.2024 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वहीं देय है ज[illegible]त अभिलेखो में उपलब्ध हो** और **प्रश्नात्मक रूप में नही होगी [illegible] रूप में प्रत्यर्थी न तो** नई सूचना **बना सकते है और न ही वे स्व[illegible] का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता) एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उ **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता) एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर